

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/189/2021


दिनांक : 22-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....राजेन्द्र कुमार.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उमाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....सहनाली छोटी.....पटवार मण्डल.....सहनाली छोटी.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....२०७१-७५.....के खाता संख्या.....१५८.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....राजुराम पुत्र उमाराम.....अंकित है जो ^{सही}सम्मानजनक नहीं है।
जिसे ^{सही}सम्मानजनक रूप से.....राजेन्द्र कुमार पुत्र उमाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....सहनाली छोटी.....से करवाने पर पटवारी ने.....राजुराम पुत्र उमाराम.....के
बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र उमाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....राजुराम पुत्र उमाराम.....के
बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र उमाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....सहनाली छोटी.....
के खाता संख्या.....१५८.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....राजुराम पुत्र उमाराम.....
के स्थान पर ^{सही}सम्मानजनक रूप से.....राजेन्द्र कुमार पुत्र उमाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

रा.स.स. 914
22-11-2021


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

